राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक का विश्लेषण

लोकसभा में 23 जुलाई को खेल मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा प्रस्तुत राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक भारत में खेल प्रशासन में दो बड़े बदलावों का प्रस्ताव करता है:

1. राष्ट्रीय खेल बोर्ड का गठन – जिसे व्यापक शक्तियाँ प्राप्त होंगी, ताकि वह खेल महासंघों (फेडरेशनों) की निगरानी कर सके, जिसमें बीसीसीआई (BCCI) भी शामिल है।
2. राष्ट्रीय खेल अधिकरण (Tribunal) की स्थापना – जिसे दीवानी न्यायालय जैसी शक्तियाँ प्राप्त होंगी और वह खिलाड़ी चयन से लेकर महासंघों के चुनाव तक से जुड़े विवादों का निपटारा करेगा।

अधिकरण के निर्णयों के विरुद्ध अपील सीधे सुप्रीम कोर्ट में की जा सकेगी।

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य और विधेयक की आवश्यकता

लंबे समय से आवश्यकता

खेल नियामक (स्पोर्ट्स रेगुलेटर) की ज़रूरत पहली बार 2007 की मसौदा व्यापक राष्ट्रीय खेल नीति में बताई गई थी। इसमें शेयर बाज़ार नियामक सेबी (SEBI) जैसी संस्था बनाने का प्रस्ताव था, ताकि खेलों के लिए एकीकृत राष्ट्रीय संरचना स्थापित की जा सके।

पूर्व प्रयास

वर्तमान विधेयक के कई प्रावधान उन राष्ट्रीय खेल विकास विधेयकों से लिए गए हैं, जिन्हें पिछले दशक की शुरुआत में तैयार तो किया गया था, लेकिन वे संसद से पारित नहीं हो पाए।

सुदृढ़ क्षमता

राष्ट्रीय खेल बोर्ड के गठन से सरकार की नियामक क्षमता बढ़ जाएगी। इसके अंतर्गत ऐसे विशेषज्ञ स्टाफ की नियुक्ति संभव होगी, जिनके पास कानूनी और ऑडिट संबंधी विशेषज्ञता होगी। यह स्टाफ देश की 56 राष्ट्रीय खेल महासंघों और उनके सहयोगी संगठनों के संचालन का मूल्यांकन कर सकेगा।

खेलों में न्यायिक हस्तक्षेप का समाधान

कानून की अनुपस्थिति में, 2011 का स्पोर्ट्स कोड राष्ट्रीय खेल महासंघों की सरकारी मान्यता के मानक तय करने का प्रशासनिक साधन रहा है। लेकिन यह हमेशा एक अस्थायी व्यवस्था थी, जिसकी क्रियान्वयन प्रक्रिया असमान और सीमित रही।

इस नियामक विफलता के कारण खेल संगठनों के कामकाज में न्यायपालिका का व्यापक हस्तक्षेप हुआ, खासकर तब जब कई महासंघों का संचालन बेहद अव्यवस्थित था। परिणामस्वरूप:

- कई न्यायालयीन मामले वर्षों से लंबित पड़े हैं।
- कुछ अदालतों ने अपने ही पूर्व निर्णयों को पलट दिया है।
- अनेक महासंघ अस्थायी (ad hoc) समितियों द्वारा चलाए जा रहे हैं।
- लगभग हर महासंघ का चुनाव अब अदालत में चुनौती दी जाता है।

जैसा कि नंदन कामथ कहते हैं, *"यह स्थिति टिकाऊ नहीं है।"*

न्यायिक हस्तक्षेप का अंतिम उद्देश्य जनहित और मज़बूत खेल संस्थान होना चाहिए, न कि केवल *"गंदगी साफ करने"* तक सीमित रहना।

Ojaank
Zero to Hero
EWS BATCH
अगर आपके पास पैसे हों कम, आपके सपनों में हो दम, चिंता न कीजिए, मौजूद हैं हम।
EMI Available
Rs. 5000/Month
Rs. 60,000 for 2 Years
By Ojaankk Sir

राष्ट्रीय खेल अधिकरण (National Sports Tribunal)

"समयबद्ध प्रक्रियाएँ और खेल की समझ रखने वाले लोग यदि विवाद निपटान में शामिल हों, तो यह खेल को स्वस्थ और प्रगतिशील बनाए रखने के लिए बेहतर है।"

— नंदन कामथ, खेल विधि विशेषज्ञ

स्वतंत्र मॉडल

भारत में यह खेलों के लिए पहली पहल होगी, लेकिन दुनिया भर में खेल संबंधी विवादों के समाधान हेतु स्वतंत्र चैंबर्स और अधिकरण का मॉडल अपनाया जाता है।

दीवानी न्यायालय जैसी शक्तियाँ

यह अधिकरण दीवानी न्यायालय की शक्तियों से संपन्न होगा और खिलाड़ी चयन से लेकर महासंघ चुनाव तक के विविध विवादों का निपटारा कर सकेगा।

समयबद्ध समाधान

इसका उद्देश्य पारंपरिक अदालतों की तुलना में तेज़ समाधान उपलब्ध कराना है। अपील का अधिकार केवल सुप्रीम कोर्ट तक सीमित रहेगा।

सफलता की शर्त

अधिकरण की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि इसमें योग्य, स्वतंत्र विचारधारा वाले और हितों के टकराव से मुक्त सदस्य नियुक्त किए जाएँ।

राष्ट्रीय खेल बोर्ड: शक्तियाँ और पारदर्शिता

शक्तियाँ और निगरानी

विधेयक में प्रस्तावित शक्तियाँ पहले से ही खेल मंत्रालय के पास रही हैं। लेकिन राष्ट्रीय खेल बोर्ड को एक वैधानिक सार्वजनिक संस्था के रूप में स्थापित करना, जिसके कार्य स्पष्ट रूप से परिभाषित हों, इससे निम्नलिखित लाभ होंगे:

- सार्वजनिक निगरानी में वृद्धि
- शक्तियों के प्रयोग में अधिक पारदर्शिता
- खेल संगठनों के बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध होना

प्रशासनिक दृष्टिकोण

विधेयक प्रस्तावित करता है कि बोर्ड सभी राष्ट्रीय खेल महासंघों और उनकी संबद्ध इकाइयों का पंजीकरण करेगा। इससे तीन स्तर पर शासन (गवर्नेंस) संभव होगा:

1. सूचना-आधारित शासन – खेल संगठनों को अधिक दृश्य और जवाबदेह बनाना।
2. मानक-निर्धारण आधारित शासन – जैसे सेबी (SEBI) सूचीबद्ध कंपनियों के लिए मानक तय करती है।
3. ढाँचा-संरेखण आधारित शासन – पूरे तंत्र को एक साथ लाना और समन्वय स्थापित करना।

विवादास्पद पहलू: आयु सीमा और कार्यकाल

आयु सीमा 75 वर्ष तक बढ़ाई गई

विधेयक में खेल प्रशासकों की अधिकतम आयु सीमा को 75 वर्ष तक बढ़ा दिया गया है और पहले से मौजूद कार्यकाल की सीमाएँ समाप्त कर दी गई हैं।

औचित्य

यह तर्क दिया गया है कि इन रियायतों की ज़रूरत इसलिए है ताकि अधिक भारतीय प्रशासक अंतरराष्ट्रीय खेल संस्थाओं में नेतृत्व पद हासिल कर सकें, जिसके लिए लंबे समय और अनुभव की आवश्यकता होती है।

चिंताएँ

जैसा कि नंदन कामथ कहते हैं:

"ऐसे कथित लाभों को जड़ जम जाने और संस्थागत कब्ज़े के स्पष्ट ख़तरों के साथ संतुलित करना चाहिए। यहाँ सावधानी से कदम बढ़ाना बेहद ज़रूरी है।"

⚠ **संभावित प्रभाव**

इस बदलाव का बड़ा असर बीसीसीआई (BCCI) पर हो सकता है, क्योंकि उसके संविधान में वर्तमान में अधिकतम तीन कार्यकाल (प्रत्येक तीन वर्ष) की सीमा है, जिसके बाद कोई पदाधिकारी दोबारा निर्वाचित नहीं हो सकता।

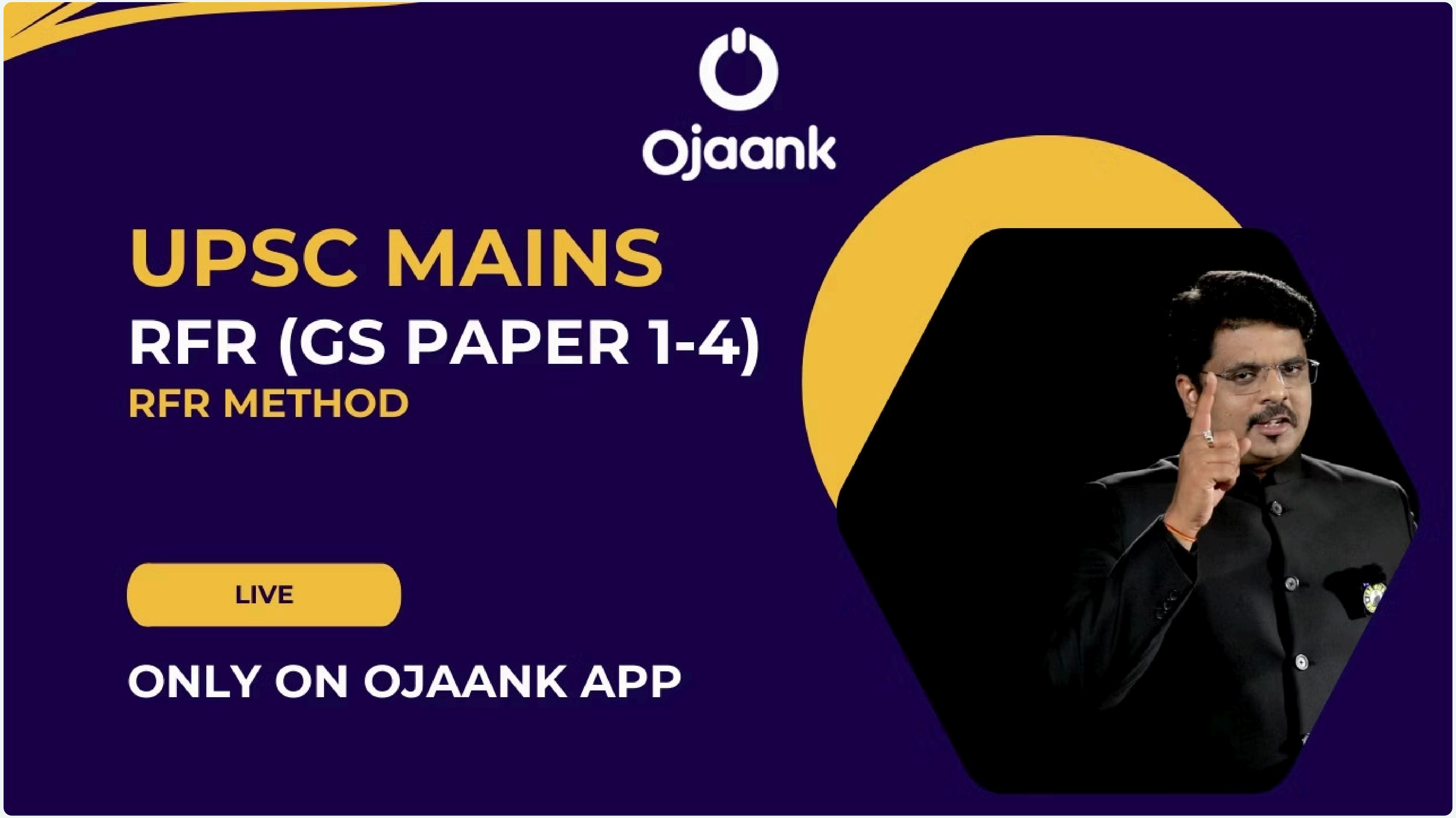
Ojaank
UPSC MAINS
RFR (GS PAPER 1-4)
RFR METHOD
LIVE
ONLY ON OJAANK APP

बीसीसीआई और क्रिकेट प्रशासन पर प्रभाव

ऐतिहासिक बदलाव

बीसीसीआई (BCCI) अब तक न तो सरकारी नियमन के अधीन रहा है और न ही इसे औपचारिक रूप से राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता मिली है। लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार, नया कानून बीसीसीआई को भी अपने दायरे में लाने का इरादा रखता है।

बीसीसीआई के लिए प्रमुख बदलाव

- बीसीसीआई के संविधान में मौजूद आयु और कार्यकाल संबंधी धाराओं का हटना।
- क्रिकेट के आगामी ओलंपिक खेलों में शामिल होने के चलते, भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) में बीसीसीआई की संभावित सदस्यता।
- राष्ट्रीय खेल बोर्ड द्वारा निगरानी।
- विवादों का निपटारा राष्ट्रीय खेल अधिकरण द्वारा।

निष्कर्ष

यह कदम भारत में क्रिकेट प्रशासन के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा नियामक परिवर्तन होगा।

खिलाड़ियों के लिए विवाद निपटान व्यवस्था

आंतरिक विवाद निपटान
विधेयक के अनुसार, किसी भी विवाद की पहली सुनवाई संबंधित महासंघ के आंतरिक विवाद निपटान कक्ष में होगी।

राष्ट्रीय खेल अधिकरण

आंतरिक कक्ष से आने वाली अपीलें राष्ट्रीय खेल अधिकरण में सुनी जाएँगी। यह व्यवस्था अंतरराष्ट्रीय खेल विवाद निपटान ढाँचों के समान है।

सुप्रीम कोर्ट

अंतिम अपील का अधिकार केवल सुप्रीम कोर्ट तक सीमित होगा, अन्य न्यायालय इसमें हस्तक्षेप नहीं कर पाएँगे।

अंतरराष्ट्रीय समानता

यह ढाँचा वैश्विक खेल विवाद प्रणालियों (जैसे फीफा) जैसा है, जहाँ प्रतिभागियों को साधारण अदालतों में जाने की अनुमति नहीं होती और उन्हें विशेषीकृत तंत्रों के माध्यम से ही न्याय पाना होता है।

जैसा कि नंदन कामथ कहते हैं:

"विवाद निपटान को खिलाड़ियों के लिए सुलभ, आर्थिक रूप से व्यावहारिक और निष्पक्ष बनाए रखना अच्छे प्रशासन का एक महत्वपूर्ण पहलू होगा।"

Ojaank

Free PDF Content

पाने के लिए अभी JOIN करें

IAS with Ojaankk Sir

8285894079

Ojaankk_Sir

8285894079

IAS with Ojaankk Sir

www.ojaank.com/